पेयजल एवं स्वच्छता हेतु ओरियन्टेशन प्रशिक्षण (लेवल–3) पुस्तिका
जल जीवन मिशन (हर घर जल)

सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेन्टेशन एण्ड रिसर्च
(की-रिसोंस सेन्टर, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार)
ईमेलः–sirworld@rediffmail.om, वेबसाइट–www.sirworld.org

के.आर.सी. सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेन्टेशन एण्ड रिसर्च

जल जीवन मिशन का विजन JJM Vision

निर्धारित गुणवत्ता एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति करना

नियमित तथा दीर्घकालिक तौर पर जलापूर्ति करना

प्रत्येक ग्रामीण घरों में पेयजल की आपूर्ति

ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करना एवं लिए किफायती जल सेवा वितरण शुल्क सुनिश्चित करना ।

जल जीवन मिशन का उदेश्य

2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को FHTC (क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन) प्रदान करना

जेजेएम के मुख्य लाभ क्या हैं?

- सतत जल सेवा वितरण
- जल उपलब्धता हेतु महिलाओं द्वारा की जा रही कठिन परिश्रम में कमी
- जीवन स्तर में सुधार
- सामुदायिक स्वामित्व का विकास
- नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य लाभ
- बीमारी कम होने से आर्थिक
- जल संग्रहण हेतु समय की बचत एवं लाभ
- ODF की स्थिरता

जेजेएम के घटक

प्रत्येक घरो में **FHTCs** हेतु ग्राम स्तर पर पाइप जलापूर्ति से सम्बंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना

विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/या मौजूदा स्रोतों का संवर्धन करना

बल्क वाटर ट्रांसफर- मल्टी विलेज स्कीम जहां पर्याप्त जल एवं बेहतर गुणवत्ता वाले जल की समस्या की कमी हो , वंहा जरूरत के अनुसार ट्रीटमेंट प्लांट और वितरण नेटवर्क की स्थापना

जहां जल गुणवत्ता से सम्बंधित समस्या है, वहां से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए तकनीकी उपाय करना

प्रत्येक घरों तक FHTCs प्रदान करने हेतु पूर्व से चल रही पेयजल योजनाओं की रेट्रोफिटिंग करना

गन्दला जल प्रबंधन करना

सहायक गतिविधियाँ - अर्थात IEC, HRD, R & D, ज्ञान केंद्र, समुदायों की क्षमता निर्माण, आदि।

योजना बनाने और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों के अवसर, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

भारत सरकार की प्रमुख योजना 'हर घर जल' राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा लागू की जाती है। चूंकि जल जीवन मिशन ज़मीनी-स्तर (बॉटम-अप दृष्टिकोण) से लागू किया जाता है, अतः स्थानीय ग्रामीण समुदाय इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। आधारभूत सर्वेक्षण, संसाधनों की मैपिंग और समुदाय की वांछित आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत, लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन से 5 साल की 'ग्राम कार्य योजना' तैयार करती है। इसे तैयार करने में स्थानीय लोगों का जल प्रबंधन संबंधी विवेक और पारंपरिक ज्ञान ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत में स्थापित किए जाने वाले बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, क्रियान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं रखरखाव का कार्य गाँव के लोगों द्वारा ही किया जायेगा। पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक आबादी वाले गांवों में इस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर आने वाली पूंजीगत लागत का 5% हिस्सा गाँव के लोगों द्वारा नकद/ वस्तु अथवा मजदूरी, या दोनों, के रूप में योगदान किया जाएगा। अन्य इलाकों के गांवों में पूंजीगत लागत का 10% हिस्सा गाँव के लोगों द्वारा वहन किया जाएगा। कार्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ग्रामीण समुदाय में स्वामित्व की भावना जागृत की जा सके।

वीएपी बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव में वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं और जल संरक्षण के उपाय किए गए हैं। पशुओं के लिए भी पेयजल की व्यवस्था करनी होगी। ग्रेवॉटर प्रबंधन की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनुमान है कि रसोई और स्नानघर से निकलने वाले 60% से 70% गंदले पानी को पुनःशोधित किया जा सकता है, और शोधन के बाद उसका पुन: उपयोग किया जा सकता है।

इस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा की बैठक के दौरान पंचायत द्वारा एक उप-समिति (पानी समिति/ वीडब्ल्यूएससी आदि) का गठन किया जाना है (यदि पहले से नहीं है) जो सामुदायिक संपर्क, योजना बनाने, कार्यान्वयन में सहायता और अंततः प्रचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। पानी समिति की जिम्मेदारियों में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की जियो-टैगिंग, नल जल कनेक्शन को आधार से जोड़ना, जल आपूर्ति प्रणाली की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए इसकी नियमित निगरानी करना, समुदाय से उपयोग-शुल्क एकत्र करना, समय पर और पर्याप्त ओ एंड एम सुनिश्चित करना, बैठकों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है क्योंकि वे कार्यक्रम में प्राथमिक हितधारक हैं और कार्यक्रम के बारे में जागरूकता लाती हैं।

कार्यक्रम कार्यान्वयन में पंचायतों की सहायता करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) को सूचीबद्ध किया जा रहा है। वे कार्यक्रम में जमीनी-स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देती हैं। प्रमुख संसाधन केंद्र समुदाय, पानी समिति, निगरानी समिति, पंचायत सदस्यों, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों के क्षमता संवर्धन के कार्य में लगे हुए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता के बार-बार परीक्षण करने और किसी भी संदूषण की सूचना मिलने पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी भी घटना के मामले में उपयुक्त आपदा उपशमन करने के लिए पहले से योजना बनानी होगी। यह योजना उन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जहां अक्सर भूकंप, बाढ़, सूखा, बादल फटना, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।

कार्यक्रम की सफल शुरूआत के बाद, सरकार द्वारा परियोजना लागत का 10% संचालन और रखरखाव के लिए 'चक्रीय निधि' के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि पानी समिति के बैंक खाते में जमा की जाती है। समिति के पास उपलब्ध निधि का उपयोग टूट-फूट, रखरखाव और तकनीशियनों के वेतन के लिए किया जाएगा।

73वां संविधान संशोधन

- ग्राम सभा गाँव में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सामान्य मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए गाँव की संसद के समान है।
- 'ग्राम कार्य योजना' अगले 5 वर्षों के लिए गांव में विकास कार्यों की रूपरेखा है।
- 'ग्राम कार्य योजना' को ग्राम सभा में विकसित और मंजूर किया जाता है।
- गांव में जल आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन की देखरेख गाँव के ही लोग करते है।
- बजट और जल जीवन मिशन के तहत हुई प्रगति को ग्राम सभा में रखा जाता है।
- समुदाय में अगर किसी को शिकायत है तो वह भी ग्राम सभा दूर करती है।
- ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची है जो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पानी से जुड़े कुछ विषय, जो जेजेएम के जलापूर्ति कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:
    - बिंदु 3: लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास;
    - बिंदु 11: पेयजल;
    - बिंदु 17: प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा;
    - बिंदु 23: अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता;
    - बिंदु 24: परिवार कल्याण;
    - बिंदु 25: महिला एवं बाल विकास;
    - बिंदु 27: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों का कल्याण।

समुदाय प्रबंधित ओ एंड एम सिस्टम

1 दैनिक संचालन
- स्रोत से एफएचटीसी तक दैनिक संचालन
- जल गुणवत्ता प्रबंधन
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन

2 रखरखाव और मरम्मत
- निवारक रखरखाव
- आवधिक रखरखाव
- ब्रेकडाउन रखरखाव

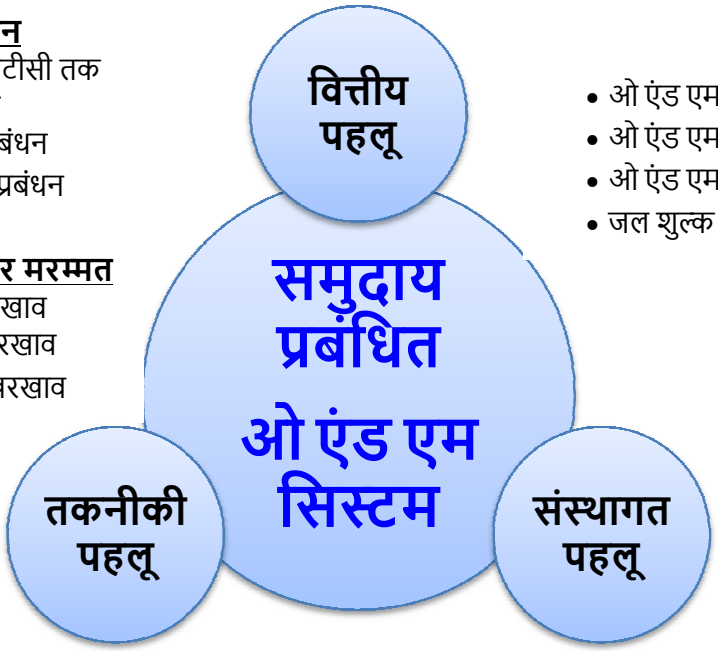

- ओ एंड एम व्यय
- ओ एंड एम आय
- ओ एंड एम के लिए धन के अन्य स्रोत
- जल शुल्क संरचना और संग्रहण

- ओ एंड एम प्रणालियों की स्थापना
- सीबी और आईईसी
- रिकार्ड रखना एवं रख-रखाव
- शिकायत निवारण

जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी

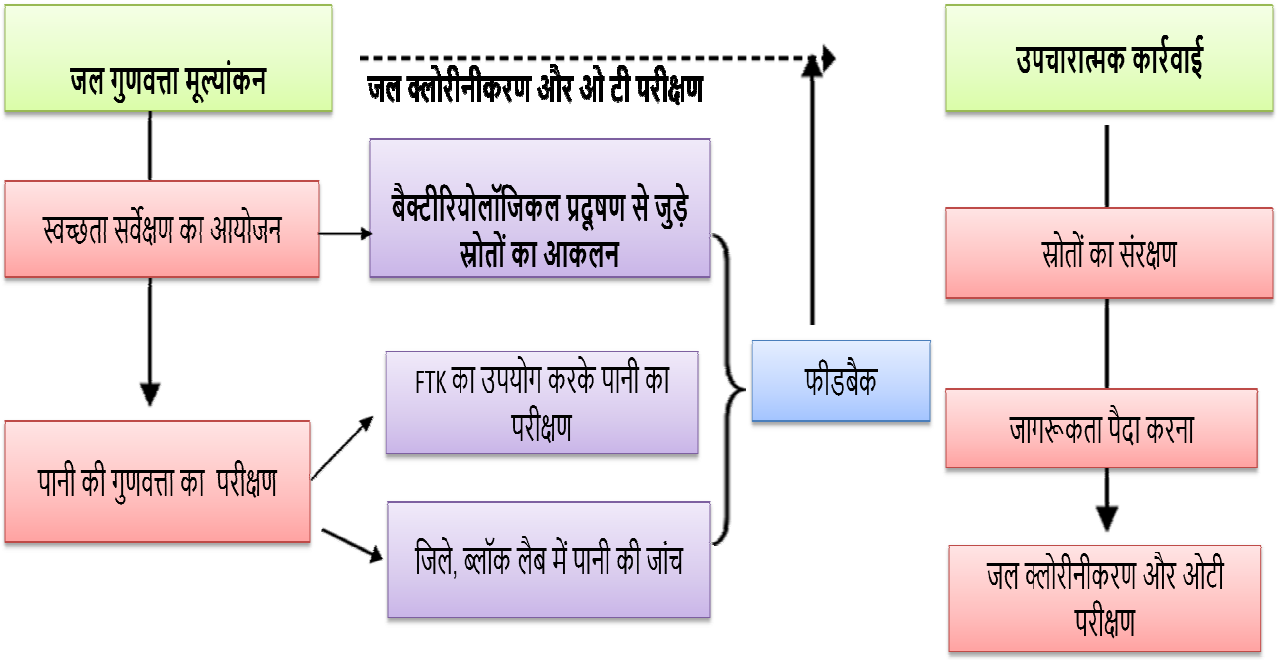

हर घर जल ग्राम घोषणा प्रोटोकॉल

एक गांव को हर घर जल घोषित किया जा सकता है अगर .....

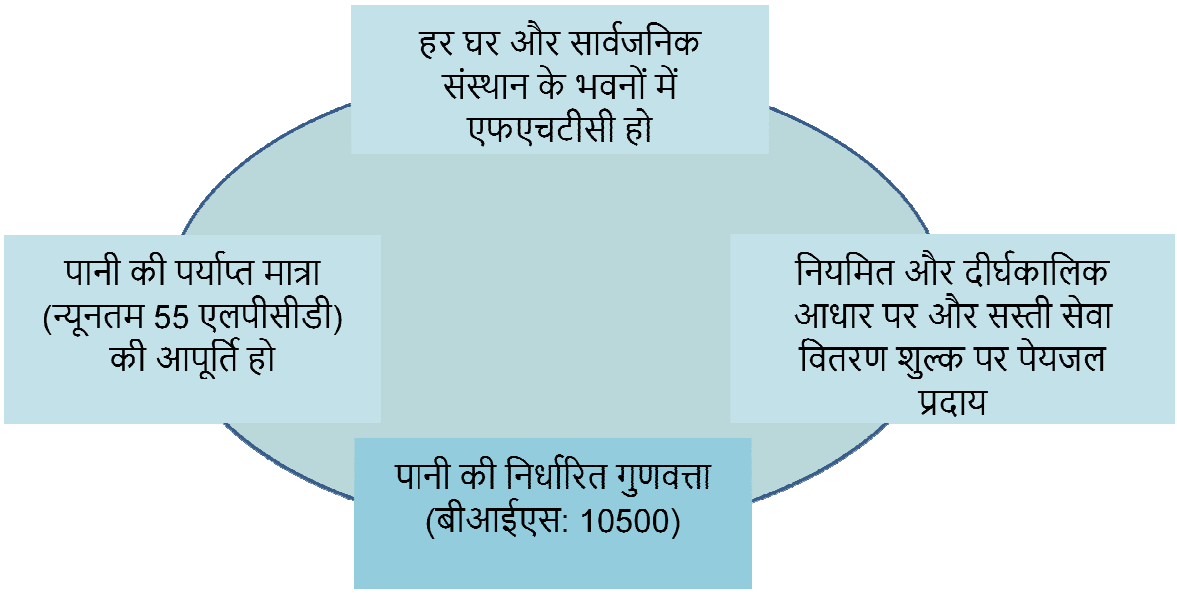

'हर घर जल' की घोषणा से पहले सुनिश्चित की जाने वाली गतिविधियां

ग्राम सभा के अनुमोदन से **वीडब्ल्यूएससी या उप-समिति का गठन**

↓

पंचायत सचिव द्वारा **100% नल कनेक्शन कवरेज (घर और संस्थान) और इसका प्रमाण पत्र**

↓

जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए **5 महिला स्वयंसेवकों की नियुक्ति**

↓

सभी एफएचटीसी को **घर के मुखिया के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा**

↓

शत-प्रतिशत हर घर जल ग्राम डाटा का **अद्यतनीकरण**, वीडब्ल्यूएससी सदस्यों की सूची, जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए 5 महिलाओं का विवरण इत्यादि।

↓

ओ एंड एम के लिए जल सेवा शुल्क।

हर घर जल घोषणा प्रोटोकॉल चरण

चरण 1
- योजना भ्रमण का आयोजन

चरण 2
- सभी घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के बारे में ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना

चरण 3
- 'हर घर जल' ग्राम घोषित करने के लिए ग्रामसभा का संकल्प

चरण 4
- नामित अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र

चरण 5
- डैशबोर्ड पर वीडियो अपलोड करे

एसबीएम-जी चरण- II

- ओडीएफ स्थिरता
- एसएलडब्ल्यूएम पर फोकस के साथ ओडीएफ प्लस
- 'ग्रेवॉटर' प्रबंधन पर विशेष फोकस
- जल स्रोतों एवं स्वच्छ पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
- ओडीएफ प्लस आदर्श गांव
- ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों का प्रमाणीकरण

भूजल में घुले तत्वों की अधिकता का मानव शरीर पर दुष्प्रभाव

बोरोन - स्नायु तन्त्र पर प्रभाव

फ्लोराइड - दंत क्षरण जोड़ो में अकड़न, हड्डियों में मुड़ाव

सोडियम - हृदय, गुर्दा व रक्त परिसंचरण रोगों से ग्रसित लोगों को हानिकारक

क्लोराइड - सोडियम के साथ मिलकर उच्च रक्त चाप

नाइट्रेट - नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी बीमारी (मेथमोग्लोबिनिमिया)

कैल्शियम - जोड़ो में कड़ापन

सल्फेट - अधिकता में मैग्नेशियम के साथ मिलकर दस्तावर

आर्सेनिक - त्वचा रोग, कैंसर

कैडमियम - गुर्दे पर प्रभाव

क्रोमियम - त्वचा व फेफड़ों पर प्रभाव

लेड - बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा व्यस्कों में गुर्दे के रोग

आयरन - आयरन जीवाणू से आमाशय संबंधी रोग, हीमोकोमेटोसिस

कीटनाशक - प्रतिरक्षण क्षमता व तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, कैंसर

सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेन्टेशन एण्ड रिसर्च

(की-रिसोर्स सेन्टर, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार)

एस-4, द्वितीय तल करामत काम्प्लेक्स, निशातगंज, लखनऊ-226006 (उ.प्र.) दूरभाषः 0522-2334725, ई-मेलः sirworld@rediffmail.com, वेबसाइटः www.sirworld.org